रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0--4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 26 जुलाई, 2008 ई0 (श्रावण 4, 1930 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

7 जुलाई , 2008 ई0

संख्या-परिषद्-9/241--सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-439/15-7-08-1(56)/08, दिनांक 5 मई , 2008 द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये परिषद् विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-1 में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है--

वर्तमान स्वरूप		**स्वीकृत संशोधन**	
(अध्याय-दो, विनियम-1 का परिशिष्ट "क")		(अध्याय-दो, विनियम-1 का परिशिष्ट "क")	
क्रम-29 जीव विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12 के लिये)		क्रम-29 जीव विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12 के लिये)	
1--वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0 एस0 सी0	वरीयान अर्हता प्रशिक्षित	1--वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0 एस0 सी0	वरीयान अर्हता प्रशिक्षित
अथवा		अथवा	
2--कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0एस0सी0, बी0एस0सी0 में जन्तु विज्ञान	,,	2--कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0 एस0 सी0, बी0 एस0 सी0 में जन्तु विज्ञान	,,
अथवा		अथवा	
3--कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0एस0सी0, बी0 एस0 सी0 में वनस्पति विज्ञान	,,	3--कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0एस0सी0, बी0 एस0 सी0 में वनस्पति विज्ञान	,,

वर्तमान स्वरूप		स्वीकृत संशोधन	
अथवा		अथवा	
4--किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस0 सी0 ।	वरीयान अर्हता प्रशिक्षित	4--यू0 जी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से एम0 एस0 सी0 (लाइफ साइन्स)	वरीयान अर्हता प्रशिक्षित
		अथवा	
		5--किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्ष विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस0 सी0।	
क्रम-32 रसायन विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12 के लिए)	,,	क्रम-32 रसायन विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12 के लिए)	,,
1--रसायन विज्ञान में एम0 एस0 सी0	,,	1--रसायन विज्ञान में एम0 एस0 सी0	,,
अथवा		अथवा	
2--रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0 एस0 सी0 (आनर्स)	,,	2--रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0 एस0 सी0 (आनर्स)	,,
अथवा		अथवा	
3--किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस0 सी0 ।	,,	3--यू0 जी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री)	,,
		अथवा	
		4--किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस0 सी0।	,,

(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें)

श्रीमती प्रभा त्रिपाठी,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

पी0 एस0 यू0 पी0--17 हिन्दी गजट--भाग 4--2008 ई0।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पी0एस0यू0पी0--83 मा0शि0प0--26-7-2008--12,000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

11 सितम्बर , 2008 ई0

संख्या-परिषद-9/507--सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-1929/15-7-08-1(56)/2008, दिनांक 19 अगस्त , 2008 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय दो , विनियम-1 के परिशिष्ट "क" के क्रम-2 पर अंकित इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) स्तर पर हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदान कर दी है :--

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
(अध्याय-दो, विनियम-1 का परिशिष्ट "क")	(अध्याय-दो, विनियम-1 का परिशिष्ट "क")
क्रम-2 हिन्दी अध्यापक इण्टरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिये--	क्रम-2 हिन्दी अध्यापक इण्टरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिये--
1--हिन्दी में एम0 ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0 ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय,वाराणसी । (प्रशिक्षित वरीयमान)	1--हिन्दी में एम0 ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0 ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय,वाराणसी । (प्रशिक्षित वरीयमान)
2--प्रशिक्षण योग्यता वरीयान/राजाज्ञा संख्या मा/4428/15-72(13)-76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्तअध्यापकों के लिये यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0 ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा ।	2--प्रशिक्षण योग्यता वरीयान/राजाज्ञा संख्या मा/4428/15-72(13)-76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिये यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0 ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा ।
	3--हिन्दी में एम0 ए0 के साथ-साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बी0 ए0 में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी ।

उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

श्रीमती प्रभा त्रिपाठी,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

टिप्पणी--राजपत्र दिनांक 27-09-2008 के भाग 4 में प्रकाशित विज्ञप्ति।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी0एस0यू0पी0--124 मा0 शि0 पा0--03-10-2008--12,000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।